राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1326/2024

नरोत्तम मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जिला बूंदी।
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय केशोरायपाटन, जिला बूंदी।
5. अजय कुमार पारीक, नायब तहसीलदार, एपीआरटीएस, टोंक जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यवाहक नायब तहसीलदार के पद पर उप तहसील कापरेन, जिला बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण निर्वाचन अनुभाग, कलेक्ट्रेट बूंदी (स्थानांतरणाधीन) से उप तहसील कापरेन बूंदी किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 को पदभार ग्रहण कर लिया था। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को 17 दिवस की अल्प अवधि में ही पुनः स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण टोंक किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध एवं अनुचित है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया हैं। भारत

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव से जुडे लोक सेवक को गृह जिले में एवं ऐसे लोकसभा क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रखा जा सकता जहां वह गत चार वर्ष में से तीन वर्ष पदस्थापित रहे हों। अपीलार्थी का गृह जिला कोटा है। अपीलार्थी वर्तमान में तहसील कापरेन, जिला बूंदी में कार्यरत है, जो कोटा–बूंदी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। ऐसे में वर्तमान में अपीलार्थी अपने गृह जिले के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित है और उन्हें वर्तमान आलोच्य आदेश से जिले से बाहर पदस्थापित किया गया, जो अन्य निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु भारत चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जा चुका है और आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)